आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.2.19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 257/2017–18

1. साकून देवी, पति–बिरानंद मंडल
2. हीरा लाल मंडल व अनारचंद मंडल, पिता–तेज नारायण मंडल, ग्राम–पोटरी, पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया।

बनाम

राजेश मंडल, पिता–ताराचन्द मंडल, ग्राम–पोटरी, पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदिका साकुन देवी, पति–बिरानंद मंडल एवं हीरा लाल मंडल एवं अन्य, पिता–तेज नारायण मंडल, सा0–पोटरी, पो0–मझुआ, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2017 के आलोक में प्रारम्भ किया गया। इस वाद को दिनांक 11.11.2017 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
पोटरी थाना नं0 126	91	915 929	24 डी0 300 वर्गकड़ी 10 डी0 928 वर्गकड़ी	761 बनाम राजेश मंडल

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत खेसरा की भूमि के साथ अन्य खेसरा की भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान जनक लाल मंडल व अनुप लाल मंडल, पिता–कनकी दास के नाम कुल रकवा 2.61 ए0 का दर्ज है। जिसपर दोनों खतियानधारी अपने–अपने आधा हिस्से पर दखलकार हुए। खतियानधारी अनुपलाल मंडल अपने पिछे चार पुत्र तीर्थानंद मंडल, देवानंद मंडल, कृत्यानंद मंडल व महेन्द्र मंडल को छोड़कर मृत हुए। तीर्थानंद मंडल भी अपने पिछे अपनी पत्नी अशोका देवी एवं दो नावालिग पुत्र को छोड़कर मृत हुए। शेष खतियानधारी के वारिसान देवानंद मंडल व महेन्द्र मंडल एवं कृत्यानंद मंडल ने मिलकर निबंधित दस्तावेज सं0 5546, दिनांक 04.07.2011 एवं अशोका देवी ने अपने दोनों नावालिग पुत्र का वली वासी बनकर सहित निबंधित दस्तावेज सं0 5549, दिनांक 04.07.2011 द्वारा आवेदिका एवं आवेदकगण को प्रश्नगत दोनों खेसरा से कुल रकवा 82 डी0 500 वर्गकड़ी भूमि बिक्री कर दी। क्रय

उपरांत आवेदकगणों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए ओर नामान्तरण के पश्चात् जमाबंदी सं0 750 दर्ज कराकर अद्यतन लगान रसीद प्राप्त किया जा रहा है।

दूसरे हिस्सेदार खयितानी रैयत जनक लाल मंडल के वारिसान ने अपने हिस्से की भूमि कुल रकवा 82 डी0 500 वर्गकड़ी भूमि निबंधित दस्तावेज से संजय मंडल, पिता–रब्बन मंडल को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 727 दर्ज कराया गया और उनको भी अद्यतन लगान रसीद प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार खेसरा सं0 910, रकवा 1.14 ए0 एवं खेसरा सं0 929, रकवा 0.53 ए0, कुल खयितानी रकवा 1.67 ए0 का जमाबंदी आवेदकगणों के साथ एवं अन्य क्रेता संजय मंडल के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त खेसरा में अब जमीन शेष बची हुई नहीं है। परन्तु अंचल अधिकारी/हल्का कर्मचारी द्वारा प्रश्नगत खेसरा सं0 915 से रकवा 24 डी0 300 वर्गकड़ी एवं खेसरा सं0 929 से रकवा 10 डी0 928 वर्गकड़ी भूमि का गलत ढ़ंग से बिना नामान्तरण वाद के जमाबंदी सं0 761 विपक्षी राजेश मंडल के नाम दर्ज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है, जिससे जमीन पर विपक्षी द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया जाता है। अतः विपक्षी के गलत रूप से दर्ज की गई जमाबंदी सं0 761 को रद्द करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी राजेश मंडल के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद कानून की दृष्टि से निर्वहन योग्य नहीं है। वादी को नामान्तरण में किसी तरह की आपत्ति थी तो उन्हे सर्वप्रथम नामान्तरण अपील मं सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए। यह बात सही है कि प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमि का आर0एस0 खयितान जनक लाल मंडल एवं अनुप मंडल के नाम से प्रकाशित है। खयितानी रैयत अनुप मंडल की मृत्यु के पश्चात् उनके चार पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ वारिसान हुए जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

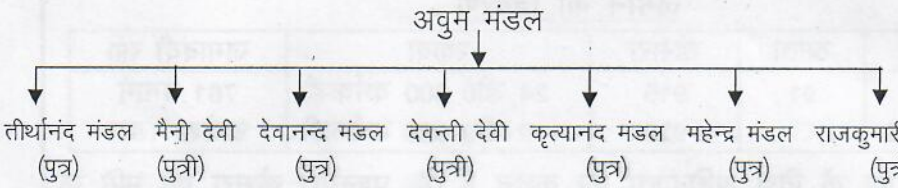

विपक्षी राजेश मंडल ने अनुप मंडल की तीनों पुत्रियों मैनी देवी, देवन्ती देवी एवं राज कुमारी देवी से उसके हिस्से की प्रश्नगत भूमि को निबंधित दस्तावेज सं0 8879, दिनांक 27.08.2012 द्वारा क्रय कर शांतिपूर्ण दखल काबिज हुए तथा नामान्तरण वाद सं0 9972/3395/12–13 द्वारा नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 761 दर्ज कराकर लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक प्राप्त किया गया है। Hindu Act 1956 के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्री को बराबर का हिस्सा प्राप्त है और वैद्य उत्तराधिकारी से उनके हिस्से की भूमि विपक्षी द्वारा क्रय की गई है।

आगे इनका यह भी कहना है कि उभय पक्ष आवेदकणों के विक्रेता द्वारा गलत ढ़ंग से अपने हिस्से से अधिक जमीन की बिक्री कर दी गई है, जबकि वादी (प्रथम पक्ष) कभी भी भूमि पर दखल काबिज नहीं रहे है और विपक्षी का दर्ज जमाबंदी विधिवत

नामान्तरण वाद सं0 9972/3395/12–13 द्वारा स्वीकृत होकर दर्ज है जो रद्द होने योग्य नहीं है। आवेदकगणों के जमाबंदी रद्दीकरण के आवेदन का अस्वीकृत करने का अनुरोध करने का अनुरोध करते हैं।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि का सर्वे खयितान जनक लाल मंडल एवं अनुप लाल मंडल के नाम प्रकाशित है। खयितानी रैयत अनुप लाल मंडल की मृत्युपरांत उनके चार पुत्र एवं तीन पुत्री हुए। चारों पुत्रों एवं उनके वारिसानों द्वारा प्रश्नगत खेसरा से कुल रकवा 82 डी0 500 वर्गकड़ी भूमि दो निबंधित दस्तावेज सं0 5546, दिनांक 04.07.2011 एवं दस्तावेज सं0 5549, दिनांक 04.07.2011 द्वारा प्रथम पक्षों को बिक्री की गई। क्रय उपरांत प्रथम पक्ष (आवेदकगणों) द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 750 दर्ज कराई गई तथा लगान रसीद प्राप्त किया गया है।

विपक्षी राजेश मंडल द्वारा प्रश्नगत भूमि खयितानी रैयत अनुप लाल मंडल की तीन पुत्री मैनी देवी, देवन्ती देवी व राज कुमारी देवी से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 8879, दिनांक 27.08.2012 को क्रय कर नामान्तरण वाद सं0 9973/3395 /2012–13 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 761 दर्ज कराया गया है। इस प्रकार एक ही भूमि का दो–दो जमाबंदी दर्ज होना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। चूँकि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी सं0 750 आवेदकगणों के नाम से निबंधित दस्तावेज सं0 5546 एवं 5549, दिनांक 04.07.2011 के आधार पर दर्ज है। अतएव बाद की दर्ज की गई जमाबंदी सं0 761 को रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 40 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 16/02/2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

16.2.19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया